



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275183
CG-DL-E-04082026-275183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4135]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4135]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4311(अ).— जबकि भारत सरकार को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य में नागपुर—छिंदवाड़ा—जबलपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन का हिस्सा मुम्बई—नागपुर—झारसुगुडा नेचुरल गैस पाइपलाईन खंड ब नागपुर—जबलपुर पाइपलाईन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए।

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतः अब भारत सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने की सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

**मुम्बई- नागपुर- झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन
अनुभाग- नागपुर- जबलपुर**

अनुसूची (नए सर्वे नंबर)						
राज्य- मध्य प्रदेश						
जिला	तहसील /तालुक	गाँव	सर्वे सं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर -	आर-	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
सिवनी	सिवनी	मोठार	409/5	00	06	47
सिवनी	सिवनी	बांधी	2/6	00	31	04
सिवनी	छपारा	पायलीखुर्द	753/1	00	01	56
सिवनी	छपारा	पिपरिया	23/4	00	07	51

**मुम्बई- नागपुर- झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन
अनुभाग- नागपुर- जबलपुर**

अनुसूची (संशोधित सर्वे नंबर)									
राज्य- मध्यप्रदेश									
जिला	तहसील	ग्राम	अधिसूचित सर्वे सं..	अधिसूचित क्षेत्रफल धारा 6(1) के अन्तर्गत राजपत्र अधिसूचना (का. आ. संख्या 5386 (अ), दिनांक 18.10.2022),(का. आ. संख्या 4684 (अ), दिनांक 30.09.2022),(का. आ. संख्या 5987 (अ), दिनांक 13.09.2022) के अनुसार अधिसूचित सर्वे नंबर (क्षेत्रफल सहित), जो दिनांक 13.05.2022, 01.08.2022, 12.04.2022 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित है			संशोधित क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर	हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5			6		
सिवनी	सिवनी	मोठार	409/4	00	06	47	00	00	00
			149/2	00	06	97	00	00	00
			149/3	00	09	89	00	16	86
सिवनी	सिवनी	बांधी	2/1	00	31	04	00	00	00
सिवनी	छपारा	पायलीखुर्द	735/1	00	01	56	00	00	00
सिवनी	छपारा	पिपरिया	23/1	00	12	91	00	05	40
सिवनी	छपारा	डुंगरिया छपारा	1024/1	00	04	52	00	31	05
			1024/4	00	31	05	00	04	52
जबलपुर	जबलपुर	नीमखेडा	213	00	14	67	00	19	79

[फा. सं. एल -14014-82-2022-जी. पी.-II (ई-42552)]

राजन कुमार शॉ, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4311(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from the State of Madhya Pradesh, a pipeline should be laid for implementing, Section: Nagpur to Jabalpur Pipeline, under the GAIL India Limited.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said Schedule may submit objection in writing to Competent Authority Gail (India) Ltd. within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public., object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL(India) Limited, State of Madhya Pradesh (address: Additional Collector, District Guna, Madhya Pradesh).

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline**Section - Nagpur – Jabalpur**

Schedule (New Survey Number)						
State- Madhya Pradesh						
District	Tehsil/Taluka	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq.Mt.
1	2	3	4	5		
Seoni	Seoni	Mothar	409/5	00	06	47
Seoni	Seoni	Bandhi	2/6	00	31	04
Seoni	Chhapara	Payalikhurd	753/1	00	01	56
Seoni	Chhapara	Pipariya	23/4	00	07	51

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline**Section - Nagpur – Jabalpur**

Schedule (Revised Survey Number)									
State- Madhya Pradesh									
District	Tehsil/Taluka	Village	Notified Survey No.	Notified Area			Revised Area		
				As per the Gazette Notifications issued under Section 6(1) S.O.No 5386 (E), dated 18.10.2022, S.O.No 4684 (E), dated30.09.2022, S.O.No 5987 (E), dated13.09.20222 published in the Extraordinary Gazette dated 13.05.2022,01.08.2022,12.04.2022					
			Hect.	Are	Sq.Mt.	Hect.	Are	Sq.Mt.	
1	2	3	4	5			6		
Seoni	Seoni	Mothar	409/4	00	06	47	00	00	00
			149/2	00	06	97	00	00	00
			149/3	00	09	89	00	16	86

Seoni	Seoni	Bandhi	2/1	00	31	04	00	00	00
Seoni	Chhapara	Payalikhurd	735/1	00	01	56	00	00	00
Seoni	Chhapara	Pipariya	23/1	00	12	91	00	05	40
Seoni	Chhapara	Dungariya Chhapara	1024/1	00	04	52	00	31	05
			1024/4	00	31	05	00	04	52
Jabalpur	Jabalpur	Neemkheda	213	00	14	67	00	19	79

[F. No. L-14014-82-2022- GP-II (E-42552)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.